न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 12 / 2015 वैवाहिक श्रीमती आरती पत्नी नारायण सिंह पुत्री तोताराम आयु 22 साल व्यवसाय घरूकार्य निवासी ग्राम शेरपुर तहसील गोहद हाल निवासी वरहद तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

______आवेदक

बनाम

नारायण सिंह पुत्र रामेश्वरदयाल आयु 25 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम शेरपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

______अनावेदिका

ALINATA PAROTO SUNT

अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय ।

/ / निर्णय//

//आज दिनांक 28—11—2015 को घोषित किया गया //

- 01. याचिकाकर्ता / आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जिसमें याचिकाकर्ता / आवेदिका ने प्रतियाचिकाकर्ता / अनावेदक के साथ सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 11—5—2013 को विघटित किये जाने का निवेदन करते हुये याचिका पेश की है । इसके अतिरिक्त इसी के साथ याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अन्य आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम एवं आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम का भी निराकरण किया जा रहा है ।
- 02. यह अविववादित है कि याचिकाकर्ता/आवेदिका का विवाह गैर याचिकाकर्ता/अनावेदक के साथ दिनांक 11—5—2013 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था । इस प्रकार आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है ।
- 03. याचिकाकर्ता / आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका विवाह दिनांक 11–5–2013 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था । विवाह के समय आवेदिका

के माता पिता द्वारा अपनी सामर्थ के अनुसार 70 हजार रूपये नगद, एक सोने की अंगूठी चार आना भर, दो गैस चूल्हा, पलंग एवं 10000 / —रूपये के वर्तन, एक गाय कीमती 15000 / - रूपये की दी थी । आवेदिका विदा होकर ग्राम वरहद पिता के घर से ग्राम शेरपुर आई तब उपरोक्त दिया गया सभी सामान व वस्तुयें अनावेदक नारायण सिंह एवं उसके भाई शिवचरन शेरपुर ले गये जो कि आवेदिका का स्त्रींधन है । शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल पहुंची तो उसके पिता द्वारा दिये गये दहेज से अनावेदक व उसके परिवार वाले सन्तुष्ट नहीं हुये और एक लाख रूपया नगद व एक मोटरसायकिल की मांग करने लगे । उक्त बात आवेदिका ने शादी के बाद लोटने पर अपने माता पिता एवं भाईयों को बतायी जिसकी उसके पिता ने असमर्थता व्यक्त की । शादी के बाद जब दूसरी बार 20 दिन बाद आवेदिका जब ससुराल गई तो अनावेदक व उसके परिवार वालों ने पुनः एक लाख रूपये नगद व मोटरसायकिल की बात दोहराई जिस पर आवेदिका ने बताया कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है । इस बात से अनावेदक ने उसकी लात घूसों से मारपीट की । श्रावण के महीने में सन् 2013 में आवेदिका अपने मायके गई तो पिता को पुनः सारी बात बताई तब आवेदिका के पिता ने ग्राम शेरपुर जाकर उन्हें समझाया लेकिन उन्होंने समझाईस नहीं मानी और आवेदिका के साथ अन्याय व कूरता का व्यवहार करते रहे । जब आवेदिका श्रावण के त्योहार के बाद 2013 में तीसरी बार ससुराल पहुंची तो अनावेदक ने उसकी शादी में दी गई सोने की अंगूठी एवं गाय को बेच दिया और आवेदिका के साथ मारपीट करना प्रारम्भ कर दिया ।

04. आवेदिका ने अपने आवेदनपत्र में आगे बताया है कि अनावेदक के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो गया है । अनावेदक का गलत लोगों से संबंध हो गये और शराब पीकर रात्री को देर से घर आने लगा और अपने शराबी शाथियों को भी साथ में घर पर लाने लगा । अनावेदक के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाने लगी और उसे अपने शराबी दोस्तों के साथ उसके संबंध स्थापित करने के लिये कहने लगा जिससे शर्म और लज्जा के कारण इस बात को वह छिपाती रही । अनावेदक के द्वारा उसकी मारपीट कर बंद कमरे में रखना प्रारम्भ कर दिया और कहने लगा कि धीरे धीरे परेशान कर जान से मारदेगा । उसके द्वारा यह कहा जाता था कि यदि उसके एवं उसके दोस्तों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया करो और उनसे भी अवैध संबंध बनाने के लिये कहने लगा और आवेदिका के साथ संभोग करना भी बंद कर दिया जिससे कोई सन्तान भी उत्पन्न नहीं हुयी । अनावेदक का आवास गांव के बाहर खेतों में अलग बना हुआ है जहां कई प्रकार के लोग अनावेदक के साथ आते जाते हैं । फरवरी 2014 को भी अनावेदक ने अपने साथियों के साथ शराब पीकर आवेदिका के साथ मारपीट की और यह कहने लगा कि वह जो कहता है वहीं करो नहीं तो घर से निकल जाओ

| होली के त्योहार के समय अनावेदक के द्वारा उसके दहेज का पूरा सामान रख लिया जिसका कि उसको रखने का कोई अधिकार नहीं है और उसे पहने हुये कपडों के साथ बस में अकेली बिठाकर उसके मायके के लिये रवाना कर दिया तब से उसे लेने नहीं आया | उसके पश्चात् उसके पिता के द्वारा पंचों के समक्ष रखने के लिये कहा गया तो वह कहने लगा कि वह तलाक चाहता है | अनावेदक के द्वारा उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखा गया और उसके प्रति प्रतिकूरता का व्यवहार रखा गया | अनावेदिका को अपने जीवन यापन करने के लिये मेहनत मजदूरी का सहारा लेना पड रहा है जबिक अनावेदक के पास दस वीघा दो फसली सिंचित जमीन है जिससे खर्चा काटकर तीन लाख रूपये सालाना आय अर्जित कर लेता है | वर्तमान याचिका को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होना बताते हुये विवाह दिनांक 11–5–2013 को विघटित घोषित किये जाने और अन्य सहायता वाबत् याचिका पेश की है |

05. याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका के साथ धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनपत्र पेश करते हुये निवेदन किया है कि आवेदिका के शादी के समय उसके माता पिता के द्वारा 70000 / — रूपये नगद, एक सोने की अंगूठी चार आना भर, गैस चुल्हा, पलंग, दस हजार रूपये के वर्तन और एक गाय कीमती 15000 के दिये गये थे जो कि उसका स्त्रीधन है जिसे कि अनावेदक उसके मायके से उसके ससुराल ले आया था । अनावेदक के द्वारा उपरोक्त सभी सामान अपने पास रख लिया और उसे घर से निकाल दिया । उक्त सामान एवं नगदी अनावेदक से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

06. याचिकाकर्ता की ओर से अन्य आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम का पेश कर यह निवेदन किया है कि अनावेदक के द्वारा उसका परित्याग किया गया है । वह मेहनत मजदूरी कर अपने पिता की देखरेख में जीवन यापन कर रही है । अनावेदक से मासिक भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है । जो कि याचिका के निराकरण होने तक ही भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है । इस परिप्रेक्ष्य में अनावेदक से 3000 / — रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

07. अनावेदक के द्वारा मूल याचिका के जवाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त आवेदिका के द्वारा किये गये शेष अभिवचनों को अस्वीकार किया है । उसके द्वारा यह आधार लिया गया है कि अनावेदक आवेदिका को विवाह से ही अपने साथ ग्राम शेरपुर में रखकर उसका भरण पोषण कर रहा है और उसे हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान कर रहा है । आवेदिका दिनांक 11—3—14 को अपने भाई के साथ हसी खुशी होली का त्योहार मनाने के लिये अपने मायके ग्राम बरहद चली गयी तब से वह बिना किसी कारण के मायके में ही निवास कर रही हे । अनावेदक ने उसे बुलाने का काफी प्रयास किया लेकिन वह लोटकर नहीं आयी । इस संबंध

निरस्त किये जाने का निवेदन किया 🏲 🌭

08. धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम के आवेदनपत्र का जवाब पेश करते हुये अनावेदक के द्वारा पेश की गयी नगदी एवं अन्य सामानों की सूची उसे प्राप्त न होने से इस संबंध में वर्णित तथ्य अस्वीकार किया है और अन्य तथ्यों से भी इन्कार किया है | उसके अनुसार आवेदिका दिनांक 11—3—14 को अपने सारे सोने चांदी के जेवरात लेकर अपने माता पिता के यहां चली गयी है | उसका आवेदिका के साथ विवाह बिना दान दहेज के सम्पन्न हुआ था और कोई दहेज भी विवाह के समय नहीं दिया गया था | आवेदिका का कोई स्त्री धन उसके पास नहीं है | ऐसी दशा में आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम निरस्त किये जाने का निवेदन किया है |

09. आवैदिका की ओर से पेश अन्य आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम का जवाब पेश करते हुये अनावेदक के द्वारा यह बताया गया है कि आवेदिका के द्वारा शादी के समय उसे मिला हुआ सभी सामान अपने पास रखा है । आवेदिका अपने पिता की देखरेख में मेहनत मजदूरी कर रही है और अपना जीवन यापन कर रही है अतः वह कोई भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । इसके अतिरिक्त धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के लम्बन के दौरान भरण पोषण दिलाये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है । ऐसी दशा में आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है 10. आवेदिका / याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि:—

1—क्या अनावेदक के द्वारा अपनी विवाहिता पत्नी आवेदिका के साथ कूरता की जा रही है ?

2—क्या अनावेदक के द्वारा की गयी कूरता के कारण आवेदिका का अनावेदक के साथ रह पाना असंभव हो गया है ?

3-क्या आवेदिका अनावेदक से विवाह विच्छेद करा पाने की अधिकारिणी है ?

🕢 / निष्कर्ष के आधार / /

बिन्दु क्रमांक 1,2,3 :--

11. आवेदिका आरती अ०सा०१ ने अपने शपथ पर साक्ष्य कथन में उसके द्वारा याचिका में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि अनावेदक के साथ शादी होने के

बाद जब वह पहली बार अपनी ससुराल पहुंची तो उसके पिता के द्वारा दिये गये दहेज के कारण अनावेदक एवं उसके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हुयी तथा एक लाख रूपये नगद और मोटरसायकिल की मांग करने लगे । उक्त बात मायके में आकर उने अपने माता पिता एवं भाई को बतायी तो उसके माता पिता ने उक्त मांग की पूर्ति करने में अपनी असमर्थता बतायी । उसके पश्चात् दूसरी विदा में वह गयी तब भी अनावेदक के द्वारा एक लाख रूपये और मोटरसायकिल की मांग दोहराई गयी और उसने कहा कि उसके माता पिता की क्षमता नहीं है । इसी कारण अनावेदक उसकी लात घूसों से मारपीट किया । मायके में आकर अपने माता पिता को सारी बातें बतायीं उसके पिता ने उसके ससुराल आकर अनावेदक को समझाया लेकिन वह नहीं माना । तीसरी बार सावन के महीने में जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो अनावेदक ने शादी में दी गयी सोने की अंगूठी एवं गाय को बेच दिया । अनावेदक उसके साथ मारपीट करने लगा । उसका गलत लोगों के साथ संगत हो गयी और उनके साथ रात को शराब पीकर वह उसे तरह तरह से परेशान करने लगा और अन्य साथियों से संबंध बनाने के लिये दबाब बनाने लगा । जिसे कि शर्म के कारण वह छिपाती रही । अनावेदक आवेदिका को कमरे में बंद रखता था और परेशान कर जान से मारने की धमकी देता था । दहेज की मांग को लेकर के वह अन्य अवैध किया क्लाप करने हेतु उसे परेशान व प्रताडित करता था । अनावेदक के द्वारा उसके साथ संभोग करना बंद कर दिया जिससे उसके सन्तान उत्पन्न नहीं हो सकी । अनावेदक के द्वारा उसे मारपीट कर यह कहते हुये कि वह किसी काम की नहीं है उसे बस में बिटाकर उसके मायके भेज दिया गया तब से वह अपने मायके में रह रही है । उसके पिता के द्वारा इस संबंध में पंचों के माध्यम से उसे भिजवाने का प्रयास किया गया किन्तु अनावेदक ने रखने से इन्कार कर दिया ओर इस प्रकार उसका परित्याग भी उसके द्व ारा किया गया है । आवेदिका की ओर से शादी में दिये गये सामानों की सूची पेश की है जो प्र0पी० 1 है इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड , एस०डी०ओ०पी० गोहद एवं थाना प्रभारी एण्डोरी को की गयी शिकायत प्र0पी0 2 है और इस संबंध में पोस्टल रशीद प्र0पी0 3 लगायत ५ पेश की हैं ।

- 12. आवेदिका श्रीमती आरती के साक्ष्य का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है । प्रतिपरीक्षण के अभाव में आवेदिका का साक्ष्य अखण्डनीय रहा है ।
- 13. आवेदिका आरती के द्वारा किये गये कथन की संपुष्टि उसकी ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी तोताराम अ0सा02 के कथन से भी होती है जो कि आवेदिका का पिता है । जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से आवेदिका के द्वारा उसे उसके पित अनावेदक के द्वारा दहेज की मांग को लेकर एवं अन्य प्रकार से परेशान व प्रताडित किये जाने के संबंध में तथा आवेदिका को घर से निकालकर मायके भेज देने के संबंध में आवेदिका के द्वारा किये गये कथनों की

संपुष्टि की है । उक्त साक्षी के द्वारा किये गये कथन का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है । इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के अभाव में उक्त साक्षी के कथन भी अखण्डनीय रहे हैं । उक्त साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है ।

- 14. आवेदिका के द्वारा वर्तमान याचिका विवाह विच्छेद वाबत् अनावेदक के द्वारा उसे प्रतिकूरता किये जाने के आधार पर पेश किया गया है । कूरता को हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में परिभाषित नहीं किया गया है । यह मनुष्य के आचरण एवं व्यवहार के संबंध में प्रयोग किया जाता है । यह एक ऐसा आचरण है जो एक दूसरे पर प्रभाव डालता है । कूरता मानसिक या शारीरिक, जानबूझकर या बिना जाने हो सकती है । वर्तमान प्रकरण का जहां तक प्रश्न है प्रकरण में स्पष्ट रूप से आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अनावेदक के द्वारा उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना जो कि उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव डालता हो और इस प्रकार उसके साथ कूरता की श्रेणी में आता है का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है । इस परिप्रेक्ष्य में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(1—क) के अन्तर्गत विवाह विच्छेद का आधार है ।
- 15. आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम का जहां तक प्रश्न है । उक्त आवेदनपत्र में आवेदिका ने उसके जीवन निर्वाह हेतु भरण पोषण दिलाये जाने का निवेदन किया गया है । इस संबंध में आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र में यद्यपि याचिका के निराकरण तक 3000 / रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने का उल्लेखित है । किन्तु मात्र इस आधार पर कि आवेदनपत्र में वाद कालीन खर्चे का भी उल्लेख आया है । आवेदनपत्र अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है ।
- 16. आवेदिका के पास स्वंय के भरण पोषण हो या उसके पास कोई संपत्ती हो ऐसा भी दर्शित नहीं है | अनावेदक के पास दस वीघा सिंचित दो फसली कृषि भूमि होना आवेदिका बता रही है उसके संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है | किन्तु निश्चित तौर से अनावेदक जो कि 25 वर्ष का नवयुवक है वह मेहनत मजदूरी आदि कर अपनी विवाहिता पत्नी जिसके कि जीवन यापन का कोई साधन नहीं है का भरण पोषण हेतु राशि प्रदान कर सकता है | प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में जीवन निर्वाह हेतु आवेदिका को अनावेदक से 1500/— रूपये प्रतिमाह उसके जीवनकाल तक अथवा आवेदिका के अन्यथा विवाह करने तक दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है |
- 17. आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अन्य आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 27 हिन्दू विवाह अधिनियम का जहां तक प्रश्न है उपरोक्त आवेदनपत्र में उसके द्वारा विवाह के अवसर पर उसे प्राप्त नगदी व आभुषण तथा अन्य सामान जो कि अनावेदक के आधिपत्य में है वापिस दिलाये जाने वाबत् याचना की गयी है । इस संबंध में सामानों की सूची आवेदिका के द्वारा पेश की गयी है

जिसमें सोने की अंगूठी चार आने भर कीमती 8000 रूपये, गेस चुल्हा 4000 रूपये, वर्तन 10000 रूपये पलंग 10000 रूपये, एक गाय कीमती 15000 रूपये और नगदी 70000/- का उल्लेख किया गया है । उक्त सामानों का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में नगदी 70000 / — रूपये जो कि शादी के बेला में दिया जाना बताया जा रहा है । वास्तव में उक्त 70000 / – रूपये की राशि अनावेदक को मिली ऐसा कहीं दर्शित नहीं है । इस परिप्रेक्ष्य में नगदी 70000 / – रूपये आवेदिका को वापिस दिलाये जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता । शेष सामान सोने की अंगूठी, गेस चुल्हा, वर्तन एवं पलंग तथा गाय जो कि आवेदिका को उपहार में दिये गये हैं उक्त सामान अथवा उनका मूल्य आवेदिका को अनावेदक के द्वारा वापिस किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता / आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत याचिका एवं आवेदनपत्रों को स्वीकार करते हुये इस संबंध में निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है :-

1—आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य सम्पन्न विवाह दिनांक 11—5—2013 घोषित किया जाता है ।

2—आवेदिका अनावेदक से वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेगी ।

3-आवेदिका अनावेदक से उसके जीवनकाल तक या उसके पुर्नविवाह करने तक भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह 1500 / - रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी 1

4—आवेदिका अनावेदक से दहेज में दिये गये सामान सोने की अंगूठी कीमती 8000 / —, गेस चुल्हा कीमती 4000 / —, वर्तन कीमती 10000 / —एवं पलंग 10000 / — तथा गाय कीमती 15000 / — रूपये का उक्त सामान या उसके ऐवज में उनका मूल्य प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी ।

5—आवेदिका का वाद व्यय अनावेदक के द्वारा वहन किया जायेगा ।

6—अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार या प्रमाणित होने पर जो भी कम हो दिया जाये । तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाय

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०